

फॉर्म एन एल -43-ग्रामीण एवं सामाजिक दायित्व (तिमाही विवरणियाँ )

बीमाकर्ता: ईसीजीसी लि.

31.03.2022को समाप्त तिमाही तक

(राशि रु. लाख में )

| ग्रामीण एवं सामाजिक दायित्व (तिमाही विवरणियाँ) |                              |         |                                 |                 |                |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| क्र.सं.                                        | कार्य क्षेत्र                | विवरण   | जारी किए गए पॉलिसीयों की संख्या | अर्जित प्रीमियम | सुनिश्चित राशि |
| 1                                              | अग्नि                        | ग्रामीण | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
|                                                |                              | सामाजिक | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
| 2                                              | मरीन कार्गो                  | ग्रामीण | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
|                                                |                              | सामाजिक | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
| 3                                              | कार्गो के अलावा मरीन         | ग्रामीण | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
|                                                |                              | सामाजिक | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
| 4                                              | मोटर ओ डी                    | ग्रामीण | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
|                                                |                              | सामाजिक | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
| 5                                              | मोटर टी पी                   | ग्रामीण | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
|                                                |                              | सामाजिक | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
| 6                                              | स्वास्थ्य                    | ग्रामीण | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
|                                                |                              | सामाजिक | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
| 7                                              | व्यक्तिगत दुर्घटना           | ग्रामीण | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
|                                                |                              | सामाजिक | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
| 8                                              | यात्रा                       | ग्रामीण | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
|                                                |                              | सामाजिक | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
| 9                                              | कामगार मुआवजा/नियोक्ता देयता | ग्रामीण | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
|                                                |                              | सामाजिक | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
| 10                                             | सार्वजनिक/उत्पाद दायित्व     | ग्रामीण | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
|                                                |                              | सामाजिक | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
| 11                                             | इंजीनियरिंग                  | ग्रामीण | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
|                                                |                              | सामाजिक | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
| 12                                             | विमानन                       | ग्रामीण | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
|                                                |                              | सामाजिक | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
| 13                                             | अन्य खंड <sup>(a)</sup>      | ग्रामीण | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
|                                                |                              | सामाजिक | लागू नहीं                       | लागू नहीं       | लागू नहीं      |
| 14                                             | विविध                        | ग्रामीण | -                               | -               | -              |
|                                                |                              | सामाजिक | -                               | -               | -              |
|                                                | कुल                          | ग्रामीण | -                               | -               | -              |
|                                                |                              | सामाजिक | -                               | -               | -              |

नोट:

(क) खंड/उप-खंड हेतु अलग प्रकटीकरण किया जाना है जहां कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 10 प्रतिशत से अधिक का योगदान है

(ख) एकत्रित प्रीमियम का अर्थ है सकल प्रत्यक्ष लिखित प्रीमियम

(सी) ग्रामीण एवं सामाजिक खंडों को आई आर डी ए आई नियमों के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जैसा कि समय-समय पर जारी एवं संशोधित किया गया है

www.ecgc.in